



2026:AHC-LKO:42033

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

दाण्डिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4603 वर्ष 2026

राज किशोर

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार अवस्थी

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 12

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 501 वर्ष 2025, अन्तर्गत धारा 108 भारतीय न्याय संहिता (306 भारतीय दण्ड संहिता), थाना- खमरिया, जनपद- लखीमपुर खीरी में विचारण के दौरान उसे जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि मृतक ने अपनी पत्नी द्वारा वैवाहिक घर आने से इनकार किए जाने के कारण विष का सेवन कर लिया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे परोक्ष आशय से वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। उन्होंने आगे यह जोड़ा कि आवेदक मृतक का बहनोई/जीजा है तथा वह कभी कोई अपराध करने में संलिप्त नहीं रहा। उन्होंने निवेदन किया कि मृतक एवं उसकी पत्नी के मध्य वैवाहिक सम्बन्ध को लेकर कुछ विवाद था और जब मृतक अपनी पत्नी के घर गया, तो उसने मृतक के साथ जाने से इनकार कर दिया, और जब ऐसा पुनः-पुनः किया गया, तो मृतक ने खरपतवारनाशी (वीडिसाइड) का सेवन कर लिया और तत्पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने निवेदन किया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अन्तर्गत अपराध का अवयव वर्तमान प्रकरण में नितान्त अनुपस्थित है, क्योंकि किए गए अपराध के सम्बन्ध में आवेदक के किसी कृत्य की कोई निकटता नहीं है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई अपराध करने की आपराधिक मनःस्थिति नहीं था, किन्तु विवेचक ने प्रकरण की समुचित विवेचना किए बिना तथा उसमें साक्ष्य संकलित किए बिना, आवेदक सहित अन्य सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने निवेदन किया कि सरसरी तौर पर की गई विवेचना के कारण महती अन्याय हुआ है तथा आवेदक को कष्ट भोगने हेतु छोड़ दिया गया है और उसकी वैयक्तिक स्वतन्त्रता अत्यधिक रूप से संकुचित कर दी गई है। उन्होंने निवेदन किया कि आवेदक दिनांक 14.05.2026 से कारागार में है तथा उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, जैसा कि जमानत आवेदन के प्रस्तर संख्या 35 में स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निवेदन किया कि आवेदक वचन देता है कि जमानत प्रदान किए जाने की दशा में वह उसकी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा। अतः, निवेदन यह है कि आवेदक को जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

इसके प्रतिकूल, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया तथा निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध अभिकथन प्रकृति में गम्भीर हैं तथा

सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार आवेदक किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के परिशीलन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि आवेदक मृतक का बहनोई/जीजा है। मृतक की पत्नी ने मृतक के साथ वैवाहिक घर जाने से इनकार कर दिया। प्रथमदृष्टया, वर्तमान प्रकरण में आरोपित भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अन्तर्गत अपराध के सम्बन्ध में कोई अवयव आकर्षित होता प्रतीत नहीं होता। आवेदक दिनांक 14.05.2026 से कारागार में परिरुद्ध है तथा आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, जैसा कि जमानत आवेदन के प्रस्तर 35 में स्पष्ट किया गया है। आवेदक ने वचन दिया है कि जमानत प्रदान किए जाने की दशा में वह उसकी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों, अभियोजन की प्रकृति एवं दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथमदृष्टया सन्तुष्टि, दण्ड के सुधारात्मक सिद्धान्त तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश पर विचार करते हुए, तथा प्रकरण के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु उपयुक्त प्रकरण पाता हूँ।

आवेदक- राज किशोर, जो उपरोक्त उल्लिखित अपराध में आलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए :-

- (1) आवेदक विवेचना अथवा विचारण के दौरान साक्षियों को भयभीत करके/उन पर दबाव डालकर अथवा अन्यथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (2) आवेदक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं चाहेगा। वह विचारण

न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में विचारण न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-क के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा;

(3) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) वाद के प्रारम्भ, (ii) आरोप विरचन तथा (iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा; तथा

(4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-क के अन्तर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

प्रतिभुओं की पहचान, प्रास्थिति एवं निवास-प्रमाण का सत्यापन सम्बन्धित न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी भंग की दशा में विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने तथा आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतन्त्र होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां कठोरतापूर्वक इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक ही सीमित हैं तथा उन्हें प्रकरण के गुणदोष पर किसी प्रकार का प्रतिबिम्बन नहीं समझा जाना चाहिए।

जून 25, 2026

ए.के.एस.

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)